

23¹¹

2022

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व
 वकील वादीगण अनु०। वार.² आकाज
 दिलवाने के उपरान्त भी वादीगण
 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
 अतः वादीगण का वादपत्र अदम हाजरी
 अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।
 पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बल
 काम होकर दाखिल पकल हो।



(बृजेश कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना (सीकर)